राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, **Email-pdme2k_rdd@yahoo.com**)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2016 जयपुर, दिनांक 30.06.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 20 जून 2016 को शासन सचिव की अध्यक्षता में विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

योजना की प्रगति निम्नानुसार है–

क्र. सं.	योजना का नाम	मई 2016 तक की प्रगति	मई 2015 की प्रगति
1	आईएवाई	3.82	5.78
2	एमपी लैड	42.30	11.13
3	एमएलए लैड	18.13	10.67
4	डांग	32.34	58.60
5	मगरा	27.92	39.18
6	मेवात	14.16	9.73
7	गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	34.03	24.46
8	स्वविवेक	53.22	24.36

1. गत वर्ष की तुलना में प्रगति कम रही है। जिसके लिए अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा अवगत कराया गया है कि वैबसाईट में तकनीकी करणों से भुगतान नहीं होने के कारण प्रगति कम रही है।
   - अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास को निर्देशित किया गया कि तकनीकी कारणों को दूर कर समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
   - वर्ष 2011–12 से लेकर 2013–14 तक की कुल 2.53 लाख आवासों को पूर्ण करवाने की ठोस नीति बनायी जाये और उसके अनुसार कियान्वयन करते हुए नवम्बर 2016 तक समस्त कार्य पूर्ण कराये जाए। वर्ष 2015–16 के कार्यो को आवास सहायक के माध्यम से मॉनिटरिंग करके पिछडने से रोका जाए और इन कार्यो को मार्च 17 तक पूर्ण करवाने का प्रयास किया जाए। वर्ष 2016–17 के लिए आवंटित लक्ष्यों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी जिलों के लाभार्थियों की सूची 15 जुलाई 2016 तक पूर्ण रूप से उपलब्ध करा दी जाये।
   - विशेष चिन्हित आवासों में 33 आवास दिये जाने बाकी है इन आवासों को भी प्रथम किश्त दी जाए और इन आवासों को भी इसी वर्ष 31 मार्च 2017 तक पूर्ण कराया जाए।

30/6/16

2. <u>सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत</u> गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक राशि व्यय की गयी है लेकिन निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानी है–

   - एमपी लैड का प्रारम्भिक शेष की सभी जिलों से जानकारी कर 9 जुलाई 2016 तक वैबसाईट पर अपडेट किया जाए।
   - योजना में देय समस्त किश्त एक माह में जारी करायी जाए। जहां किश्तें जारी नहीं करायी जा सकती है वहां पर उनके कारणों का पता लगाये तथा राज्य स्तर से फोलोअप किया जाए।

3. <u>विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास</u> योजनान्तर्गत गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक प्रगति रही है लेकिन दि0 1.4.2014 से पूर्व के बडी संख्या में कार्य प्रगतिरत/अप्रारम्भ है। इनकी समीक्षा कर एक माह में शुरू/पूर्ण कराया जाए।

   - मा0 मंत्री महोदय की ओर से पर्याप्त अभिशंषा दिये जाने के लिए मा0 विधायकों को पत्र लिखवाया जाए।

4. <u>सीमान्त क्षेत्र विकास</u> योजनान्तर्गत गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत राशि अधिक व्यय हुई है।

   - योजना में इस माह वर्ष 2016–17 का वार्षिक प्लान भारत सरकार से अनुमोदन करा जिलों से स्वीकृति जारी करायी जाए।
   - लाईन विभागों द्वारा बडी संख्या में कार्य अप्रारम्भ/प्रगतिरत है इसके लिए राज्य स्तर पर संबंधित विभाग को पत्र लिख कर राज्य स्तर पर बैठक आयोजित करवाकर लाईन विभागों से कार्यो को शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए प्रयास किये जाए।
   - योजना में प्रस्तावित 4 ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना के संबंध में आवश्यक स्वीकृतियॉ जारी करायी जाए।

5. <u>मेवात स्थानीय क्षेत्र विकास योजना</u> में गत वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है। जिन जिलों में गत वर्ष में स्वीकृतियॉ जारी किया जाना शेष है उनकी शीघ्र स्वीकृतियॉ जारी करायी जाए तथा इस माह बोर्ड की बैठक आयोजित करवाकर वर्ष 2016–17 का प्लान अनुमोदन कराया जाए। योजना में निर्मित आवास विद्यालयों के संचालन में आ रही कठिनाईयों का समाधान किया जाए।
6. <u>डांग स्थानीय क्षेत्र विकास योजना</u> में गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत कम व्यय रहा है। अनुभाग, जिलेवार व कार्यवार समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि जिलों द्वारा दर्शाया गया व्यय सही है। यदि आईडब्ल्यूएमएस पर रिपोर्टिंग में कोई खामी है तो उस की भी समीक्षा की जाए।
7. <u>मगरा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना</u> में गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत कम व्यय किया गया है। अनुभाग, जिलेवार समीक्षा कर सुनिश्चित करे कि कम व्यय के कारण क्या है।
8. <u>स्वविवेक जनभागीदारी विकास योजना</u> में लगभग 29 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ है। योजना में वर्ष 2016–17 के लिए जिलों को राशि आवंटित करते समय जिन जिलों का वर्ष 2015–16 में परफोरमेन्स खराब थी उनकी राशि काट ली गयी थी । अतः दि0 30.6.2016 की प्रगति को दखते हुए पत्रावली पर दिये गये निर्णय के अनुसार काटी गयी राशि जिलों को आवंटित की जाये।

2/1

9. <u>गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना</u> में गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ है। योजना में समस्त राशि जिलों को आवंटित कर दी गयी है। अतः अधिक से अधिक स्वीकृति जारी करया जाना सुनिश्चित करें एवं गत वर्षों के अप्रारम्भ/अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
10. <u>सांसद आदर्श ग्राम योजना</u> में 2 अक्टूबर 2016 से द्वितीय फेज की ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है। इस संबंध में पुनः मा0 सांसदों को लिखा जाए।
    - सभी आदर्श ग्राम पंचायतों में विलेज डवलपमेंन्ट प्लान बना लिया गया है। विलेज डवलपमेंन्ट प्लान में जो कार्य स्वीकृत नहीं हुए है उन्हें स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
    - यह देखा गया है कि योजना में अन्य विभाग पूरी रूची नहीं ले रहे है अतः राज्य स्तर पर इन विभागों की बैठक आयोजित कर भारत सरकार द्वारा जिन योजनाओं में प्राथमिकता से प्रावधान किया गया है उन प्रावधानों को लाईन विभाग द्वारा लागू करवाया जाए।
    - सांसद आदर्श ग्राम योजना में पुरूषकार देने का प्रावधान है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किये जाए।
11. <u>मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना</u> में लगभग 70 पंचायतों में बेसलाईन सर्वे एवं 100 पंचायतों में विलेज डवलपमेन्ट प्लान नहीं बना है। यह कार्य एक माह में पूर्ण कराया जाए। विलेज डवलपमेन्ट प्लान में सभी कार्यो की स्वीकृति कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। योजना की वैबसाईट तैयार कर कियाशील की जाए।

30.6.16

(सी.एल.वर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-</u>

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-I/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी-II) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

30.6.16

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)